स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–ई–18/एम/डीपीसी/2019/ दिनांकः–

आदेश

एस0बी0 सिविल रिट संख्या 11054/18 श्री शंकर लाल देवाणी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 02.08.18 के निर्देशन में श्री शंकर लाल देवाणी, सेवानिवृत कार्यालय अधीक्षक कम अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कोटा ने अभ्यावेदन दिनांक 13.08.18 एवं 19.11.18 को प्रस्तुत किया है, जिसके द्वारा मंत्रालयिक सवंर्ग की कनिष्ठ लिपिक एवं उच्चतर पद पर वरिष्ठता सूची में नियमानुसार निर्धारित स्थान पर नाम जोड कर पदोन्नति आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। उक्त वर्णित याचिका का निस्तारित करते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा दिनांक 02.08.18 को आदेश पारित किया गया जिसका ऑपरेटिव पार्ट निम्नप्रकार है:–

In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the State respondents are directed to consider and decide the same by a reasoned and speaking order as expeditiously as possible in accordance with law; preferably within three months from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order.

निदेशालय के पत्रांक: ई–18/एम/अराज/वस्थाप/व0लि0/93/335 दिनांक 05.02.94 के द्वारा विभाग में कार्यरत वरिष्ठ लिपिकों की दिनांक 31.03.92 की स्थिति में वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें श्री शंकर लाल देवाणी जिनकी जन्मतिथि 28.12.57 है, तथा कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यग्रहण तिथि 28.08.76 है। श्री देवाणी की वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यग्रहण तिथि 13.02.87 के अनुसार इनका नाम उक्त वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 937 पर अंकित है।

विभाग में वरिष्ठ लिपिक के पद की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाकर नियमित पदोन्नति वर्ष 1989–90 से दी गई है। इससे पूर्व वरिष्ठ लिपिक पद की पदोन्नतियां तदर्थ है। श्री देवाणी वरिष्ठ लिपिक पद पर तदर्थ पदोन्नत हुए है, जैसा कि निदेशालय के पत्रांक ई–13/एम/वरिष्ठता/व0लि0/06/407 दिनांक 04.07.06 के द्वारा वरिष्ठ लिपिक की दिनांक 01.04.03 की स्थिति में जारी अंतिम वरिष्ठता सूची से स्पष्ट है। दिनांक 01.04.03 की स्थिति में जारी वरिष्ठ लिपिक पद की अंतिम वरिष्ठता सूची में श्री देवाणी का नाम क्र.स. 138 पर अंकित है।

श्री देवाणी को उपरोक्त वर्णित वरिष्ठता अनुसार वर्ष 2008–09 में निदेशालय के आदेश क्रमांक ई–18/एम/डीपीसी/का0स0/09/1093 दिनांक 02.06.09 के द्वारा कार्यालय सहायक पद पर तथा वर्ष 2014–15 में निदेशालय के आदेश क्रमांक ई–18/एम/डीपीसी/स0का0अ0/17/634 दिनांक 16.10.17 के द्वारा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, जो नियमानुसार सही है।

अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.18 में याची/कर्मचारी के विरूद्व विचाराधीन पदोन्नति प्रकरण एवं वरिष्ठता सूचियों से संबंधित पत्रावली व विद्यमान नियमों का गहनता से अवलोकन किया गया जिसके आधार पर याची/कर्मचारी की वरिष्ठता एवं पदोन्नति नियमोन्तर्गत पायी गयी। इस आधार पर माननीय न्यायालय के निर्देशन में याची/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 13.08.18 एवं 19.11.18 स्वीकार योग्य नही है। अतः एतद द्वारा इसे अस्वीकार करते अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर

क्रमांकः–ई–18/एम/डीपीसी/2019/ 15 दिनांकः– 25/1/2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन कोटा।
2– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा/बून्दी।
3– उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
4– श्री शंकर लाल देवाणी, सेवानिवृत कार्यालय अधीक्षक कम अति0प्र0अ0, 3–एच–18, तलवंडी, कोटा।
5– प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करावे।
6– आदेश/रक्षित पत्रावली ।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर